संख्या-11/2024/509/58-1-24-2/1(41)18

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 26 फरवरी, 2024

विषय : पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) का प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु गठित स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट तथा ब्लाक व जनपद स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 39/2019/440/60-2-19-2/1(41)18 दिनांक 25.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- भारत सरकार के पत्र संख्या-11/4/2021-सीडी-।(इ-95706), दिनांक 01.08.2022 द्वारा' सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' में निर्गत दिशा-निर्देश के क्रम में पोषण अभियान को नये सिरे से लागू किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 25.07.2019 के क्रम में पोषण अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में संयुक्त परियोजना समन्वयक (जे0पी0सी0) के पद हेतु शासनादेश दिनांक 25.07.2019 द्वारा निर्धारित वेतनमान ग्रेड वेतन रु0 6600/7600, को सम्यक विचारोपरान्त ग्रेड वेतन रु0 4200 (समूह 'ख'), लेवल-6 निर्धारित किया जाता है। उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 39/2019/440/60-2-19-2/1(41)18 दिनांक 25.07.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-11/2024/ 509(1)/58-1-24-2/1(41)18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1

5- वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

6- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।

7- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।